भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं . 2039
दिनांक 11.12.2025 को उत्तर के लिए नियत

एमएसएमई में डिजिटल प्रौद्योगिकी

2039. श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी:

क्या **सूक्ष्मलघु और मध्यम उद्यम ,** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने पिछले पांच वर्षों में देशभर में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए डिजिटल तकनीक और अवसंरचना के उपयोग को बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हाँ तो, पिछले पांच वर्षों में देशभर के एमएसएमई की मदद के लिए उपरोक्त तकनीकों के सुधार और समेकन को बढ़ाने हेतु की गई पहलों, योजनाओं और कार्यक्रमों की सूची सहित ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा एमएसएमई उद्यमियों को बिक्रीउत्पादन और कनेक्टिविटी बढ़ाने हेतु ऐसी तकनीकों , का उपयोग करने के लिए पर्याप्त अवसंरचना प्रदन करने हेतु कौन से कदम उठाए गए हैं; और

(घ) उक्त योजनाओं और अवसंरचना सहयोग के लिए आवंटित, जारी और उपयोग की गई निधियों का आंध्र प्रदेश सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) एवं (ख): भारत सरकार ने डिजिटल प्रौद्योगिकी और आधारभूत संरचना के उपयोग को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत, इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) उपयोगिता, शासन और मांग पर सेवाएं, नागरिकों और एमएसएमई के डिजिटल सशक्तिकरण के रूप में डिजिटल आधारभूत संरचना पर सेवाएं प्रदान करता है। एमएसएमई द्वारा विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिजिटल भुगतान भी किया जाता है। देश भर में एमएसएमई को डिजिटीकरण में सहायता प्रदान करने के लिए उपरोक्त प्रौद्योगिकियों के एकीकरण को बेहतर बनाने एवं संवर्धन हेतु सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय, हितधारकों के सहयोग से कई पहलों का संचालन करता है, जिनमें अन्य के साथ-साथ उद्यम पोर्टल, एमएसएमई चैंपियंस पोर्टल, सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जेम), व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली (ट्रेड्स), एमएसएमई टीम, एमएसएमई संबंध, पीएमईजीपी पोर्टल, केवीआईसी ऑनलाइन, पीएम विश्वकर्मा पोर्टल और ऑनलाइन विवाद समाधान (ओडीआर) पोर्टल शामिल हैं।

(ग) एवं (घ): उपरोक्त डिजिटल पहल इस मंत्रालय में कई स्कीमों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन और एमएसएमई के लिए बिक्री, उत्पादन और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। ये स्कीमें उनकी संबंधित अनुमोदित कार्यान्वयन एजेंसियों (आईए) के माध्यम से कार्यान्वित की जाती हैं और तदनुसार, कार्यान्वयन एजेंसियों को निधि जारी की जा रही है। आंध्र प्रदेश राज्य सहित राज्यों को सीधे तौर पर निधि जारी करने का कोई प्रावधान नहीं है।

***